जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Misc. Case No.**61/2021-22**
Allgemein Engineering Bureau Pvt. Ltd.
-Vrs.-
State of Jharkhand & ors.

दिनांक	आदेश	कार्यालय अनुपालन
30/5/23.	Allgemein Engineering Bureau Pvt. Ltd. के द्वारा Registered Office at 17, Rajendra Nagar के द्वारा अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0–9, खाता नं0–908, न्यु प्लोट नं0–2046, रकवा–18 कट्ठा एवं प्लॉट नं0–2047 रकवा–15 कट्ठा 5 धुर कुल रकवा–33 कट्ठा 5 धुर जमीन राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के आलोक में प्रतिबंधित सूची से उक्त प्लोट को हटाने हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, मानगो से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मानगो के द्वारा पत्रांक–90 दिनांक–30.01.2023 के द्वारा वाद प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जॉच कराया गया। आवेदक के आवेदन मुं अंकित भूमि मौजा–अ0क्षे0 मानगो, वार्ड नं0–9, खाता नं0–908, प्लॉट नं0–2046 तथा 2047 रकवा क्रमशः 25.20 डी0 तथा 29.75 डी0 कुल रकवा–54.95 डी0 अनावाद बिहार सरकार के खाते में दर्ज है तथा कैफियत कॉलम में अवैध दखल सुशील कुमार बनर्जी पिता ए0 सी0 बनर्जी एक अंश व अरूण कुमार बनर्जी पिता एन0 के0 नन्दी एक अंश समा कुमार सुर पिता आर0 एल0 सुर एक अंश अवधि 1962 दर्ज है। सी0 एन0 टी0 एक्ट की धारा 90 के केश नं0–25/1980–81 में पारित आदेश के अनुसार जमाबन्दी कायम होने के पश्चात् नामान्तरण मुकदमा संख्या–845/2016–17 के अनुसार नामान्तरण होकर Allgemein Engineering Bureau Pvt. Ltd. के नाम पर ऑनलाईन एवं मेनुअल जमाबन्दी कायम है। तदनुसार वर्ष 2022–23 तक लगान भुगतान किया गया है। **झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के संचिका सं0–13/नि0वि0 (निगेटिव लिस्ट)–10/17 452/नि0, दिनांक–07.09.2021 द्वारा जिले के उपायुक्त को प्रतिबधित सूची से प्लॉट मुक्त करने हेतु सक्षम पदाधिकारी नामित किया गया है।** **अंचल अधिकारी मानगो के प्रतिवेदन के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र मानगो वार्ड नं0–9 खाता–908, प्लॉट सं0–2046**	

26/8/23 05/9/23 06/9/23 06/9/23

अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय
प्रतिलिपि शाखा
धालभूम, जमशेदपुर

तथा 2047 रकवा क्रमशः 25.20 डी0 तथा 29.75 डी0 कुल रकवा–54.95 डी0 भूमि को NGDRS Portal से झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के संचिका सं0–13/नि0वि0 (निगेटिव लिस्ट)–10/17 452/नि0, दिनांक–07.09.2021 के आलोक में अंर्तनिहित कंडिका–3 से 10 के अनुरूप Unlock करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

A. राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, झारखण्ड, रॉच एवं एन0आई0सी0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा उक्त अधिसूचना के कंडिका–8 एवं 9 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा।

B. जिला अवर निबंधक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर अधिसूचना के कंडिका–7 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

C. अधिसूचना के कंडिका–10 के आलोक में पंजी संधारित करेंगे आदेश की प्रति रक्षी संचिका में रखें।

आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/NIC जमशेदपुर/अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेंजे।

विधि व्यवस्था एवं अन्य कार्य में व्यस्तता के कारण आदेश ससमय पारित नहीं किया जा सका।

(लेखापित एवं संशोधित)

30/5/2023	30/5/2023
उपायुक्त,	उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पढ़ा एवं संशोधन किया
प्रतिमा जोशी
06/9/23.

मूल्य दिया
06/9/23
तुलना लिपिक

तुलना किया
06/9/23
तुलना लिपिक

सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित
06/09/2023
प्रधान लिपिक
अनुमण्डलीय कार्यालय धालभूम, जमशेदपुर
धारा 78 एक्ट । ऑफ 1872 के अन्तर्गत प्राधिकृत